झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

सिविल विविध याचिका संख्या–90 / 2019

श्री सत्य नारायण दुधानी ..... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

सुश्री रूपा घोष और अन्य ..... विपक्षी पार्टियाँ

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताव के0 गुप्ता**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री शैलेश कुमार सिंह, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष की ओर से :

03 / दिनांकः 01.03.2019

1. वर्तमान सिविल विविध याचिका में किए गए निवेदन और प्रकथन के मद्देनजर, कार्यालय द्वारा उठाए गए त्रुटियों को नजरअंदाज किया जाता है।

2. यह सिविल विविध याचिका, एस0 ए0 सं0–41 / 1993 में दिनांक 21.09.2017 के आदेश के आलोक में उत्तरदाता सं0–7 के नाम को काउज टाईटल से विलोपित करने के लिए दायर की गई है।

3. विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यह अनुलग्नक–1 से स्पष्ट होगा कि दिनांक 26.04.2006 के आदेश में टाइपोग्राफिकल त्रुटि के कारण अपीलार्थी के कानूनी उत्तराधिकारियों के बदले गलती से प्रतिवादी संख्या 7 का उल्लेख किया गया है। पूर्वोक्त टाइपोग्राफिकल त्रुटि को दिनांक 31.07.2006 के आदेश द्वारा सुधार किया गया था जैसा कि अनुलग्नक–2 से स्पष्ट होगा।

यह निवेदन किया गया कि अपीलकर्त्ता सं0–7 के कानूनी उत्तराधिकारी, रेखा घोष और अंकिता घोष रिकॉर्ड पर हैं और प्रतिवादी संख्या 7 के कानूनी उत्तराधिकारियों को अपील के ज्ञापन के काउज टाईटल पर गलती से रखा गया है, इसलिए प्रार्थना करता है कि प्रतिवादी सं0–7 का नाम काउज टाईटल से विलोपित कर दिया जाए।

4. सुना। अनुलग्नक–1 और 2 में उल्लिखित आदेशों 26.04.2006 और 31.07.2006 के अवलोकन से इस सिविल विविध याचिका में किए गए निवेदन और प्रकथन की पुष्टि हो जाती है। कार्यालय को इस आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर एस0 ए0 संख्या–41 / 1993 के काउज टाईटल से प्रतिवादी संख्या 7 के नाम को विलोपित करने का निर्देश दिया जाता है। दिनांक 21.09.2017 का आदेश केवल उस सीमा तक संशोधित किया जाता है।

5. परिणाम में, इस याचिका की अनुमति है।

(अमिताव के0 गुप्ता, न्याया0)